छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 195/2006</u>

श्री राजेश्वर राव कृदत्त,
देवार्चना के पास,
राजनांदगांव मार्ग,
बालोद जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय संचालक,
लोक शिक्षण संचालनालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 04 जनवरी 2007)

श्री राजेश्वर राव कृदत्त, निवासी–बालोद के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने अपील आवेदन–पत्र में उल्लेख किया है कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर से आवेदन पत्र दिनांक 4–2–2006 के द्वारा प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षाकर्मियों की संख्या वर्षवार–वर्गवार–विषयवार–जिलेवार, शिक्षाकर्मियों के रिक्त पद एवं कार्यरत शिक्षाकर्मियों की संख्या वर्गवार, विषयवार, जिलेवार, नियमित शिक्षकों के पद के विरूद्ध कार्यरत शिक्षाकर्मियों की संख्या वर्गवार, विषयवार, जिलेवार तथा संस्था का नाम जहां ऐसे शिक्षाकर्मी कार्यरत हैं, शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की संख्या विषयवार एवं जिलेवार चाही थी। निर्धारित अवधि में जानकारी उसे प्राप्त नहीं हुई। उसके द्वारा अपीलीय अधिकारी, सचिव, छ.ग.शासन, शिक्षा विभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने संचालनालय के जन सूचना अधिकारी को अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए निर्देश दिये। जन सूचना अधिकारी के द्वारा बिन्दु क्रमांक–1 एवं 4 की जानकारी हेतु 52/– रूपए अभिलेख शुल्क की सूचना अपीलार्थी को दी तथा दिनांक 12–4–2006 को 27 पृष्ठों की जानकारी अपीलार्थी को दी गई। बिन्दु क्रमांक–2 एवं 3 की जानकारी संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से लिये जाने हेतु आवेदक को सूचित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

3/ आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी ने अपूर्ण जानकारी दिये जाने की सूचना आयोग को दी। आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, लोक शिक्षण संचालनालय के विरूद्ध 25,000/– रूपए की शास्ति क्यों न आरोपित की

जावे का नोटिस जारी किया गया। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा अपने जवाब में बतलाया गया कि अपीलार्थी को बिन्दु क्रमांक–1 एवं 2 की जानकारी दे दी गई है। बिन्दु क्रमांक–12 एवं 3 के संबंध में उल्लेख किया गया कि शिक्षाकर्मियों के पदों की पूर्ति का कार्य जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा किया जाता है, अतः कितने पदों पर भर्ती की गई व कितने पद रिक्त हैं की जानकारी पंचायत विभाग से प्राप्त हो सकती है। बिन्दु क्रमांक–3 के संबंध में स्पष्ट किया गया कि शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति नियमानुसार नियमित शिक्षकों के पदों के विरूद्ध नहीं होती है, अतः जानकारी देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

4/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी ने बिन्दु क्रमांक–2 एवं 3 की जानकारी नहीं दिये जाने का उल्लेख करते हुए संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग की। प्रतिअपीलार्थी का तर्क यह है कि चूँकि शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा की जाती है, अतः उक्त जानकारी उनके कार्यालय में न होने से वे जानकारी देने में असमर्थ हैं।

5/ प्रकरण से स्पष्ट है कि आवेदक को उनके आवेदन–पत्र के बिन्दु क्रमांक–1, 3 एवं 4 की जानकारी दे दी गई है एवं बिन्दु क्रमांक–2 की जानकारी संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से नहीं दी जा सकी है। यह भी स्पष्ट है कि आवेदक ने पूरे प्रदेश की और पूरे प्रदेश में संचालित स्कूलों की जानकारी चाही थी, जो कि काफी विस्तृत जानकारी है। आवेदक को उपलब्ध जानकारी दी गई है। अतः यह मान्य नहीं किया जा सकता कि प्रतिअपीलार्थी के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी देने में विलम्ब किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षाकर्मियों की विषयवार–वर्गवार–जिलेवार स्थिति जानकारी आवेदक के द्वारा विस्तृत रूप से चाही गई है, अतः इसे एकत्रित करने में समय लगना स्वाभाविक है। बिन्दु क्रमांक–3 की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय में उपलब्ध नहीं होने से नहीं दी गई। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वही जानकारी दी जा सकती है, जो कि संबंधित सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हो। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को जानकारी प्रदान करने के लिए लिखा भी गया था, किन्तु उक्त विभाग के द्वारा जानकारी शिक्षा विभाग के द्वारा ही दिये जाने का उल्लेख किया गया है। चूँकि जानकारी देने में विलम्ब सद्भावनापूर्वक हुआ है, अतः प्रतिअपीलार्थी के विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। प्रतिअपीलार्थी के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है।

6/ इस प्रकरण से यह अवश्य स्पष्ट हुआ है कि शिक्षाकर्मियों की प्रशासकीय स्थिति एवं नियंत्रण के संबंध में स्पष्ट आदेश नहीं है। शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा की जाती है, जबकि प्रशासकीय नियंत्रण स्कूल संचालित करने वाली शिक्षा विभाग का होता है। इससे भ्रम की स्थिति है तथा सही जानकारी आवेदकों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अतः आदेश की प्रति मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को भेजते हुए यह अनुरोध किया जावे कि शिक्षाकर्मियों की प्रशासकीय एवं नियुक्तिकर्ता अधिकारी के संबंध में स्पष्ट नीति निर्धारित की जावे तथा शिक्षाकर्मियों के रिक्त पदों की जानकारी किस विभाग के द्वारा प्राप्त होगी, यह जन

सामान्य को भी स्पष्ट होना चाहिए। अतः शिक्षाकर्मियों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी कौन हैं तथा किस कार्यालय से किस–किस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सकती है, इस संबंध में स्पष्ट दिशा–निर्देश तय किया जावे।

7/ अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त